गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.06.2016 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.06.2016 को दोपहर 3.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही –

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 जे.एस. दांगी	सदस्य
03.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
04.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
05.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
06.	प्रो. मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
07.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
08.	डॉ0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
09.	डॉ0 एम.सी. राव	सदस्य
10.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नांकित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :–

01. प्रो. व्ही एस राठौड
02. डॉ0 राकेश पाण्डेय

विषय क्र 1 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।**

विचारोपरांत विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र 02 **शोधार्थी कु0 शालिनी बजाज (फार्मेसी विभाग) को इस विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 344/दिनांक 28.08.2015 को निरस्त करने तथा शोध कार्य नियमित जारी रखेने की अनुमति प्रदान करने संबंधी।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शोधार्थी कु0 शालिनी बजाज (फार्मेसी विभाग) के आवेदन दिनांक 04.05.2016 के तथ्यों के प्रकाश इसे विशेष प्रकरण मानते हुए शोध पंजीयन पर नये सिरे से पुनः विचार हेतु प्रकरण विभागीय शोध समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र 03 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O.No. F 30-57/2012(CVO) दिनांक 14.03.2016 पर विचार।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O.No. F 30-57/2012(CVO) दिनांक 14.03.2016 विचार किया गया।

विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गये –

1) भ्रष्टाचार निवारण, शिकायतों के केंद्र इत्यादि से संबंधित विषयवस्तु समशीर्षक (Topic) के रूप में विश्वविद्यालय के समस्त स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाय।

2) विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार निवारण संबंधी ''जागरूकता सप्ताह'' का आयोजन किया जाय।

3) संबंधित विषयों के अध्ययनमण्डलों को भ्रष्टाचार निवारण संबंधी विषयवस्तु पाठ्यक्रम में समाहित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाय।

4) बर्हीगमन आयोजनों (Outreach programme) के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अभियान आयोजित किये जाय।

विषय क्र 04 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र मिसल सं. 16–1/2008 (राजभाषा) दिनांक 17.03.2016 पत्र के संबंध में विचार।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 21.01.2013 को आयोजित बैठक कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया। उक्त बैठक में की गई अनुशंसाओं के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि इस विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग विश्वविद्यालय स्थापना काल से ही अस्तित्व में है तथा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की अध्ययन–अध्यापन का कार्य प्रारंभ काल से ही हो रहा है साथ ही कार्यालयीन कार्य हिन्दी भाषा में किया जाता है।

यह निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए हिन्दी अधिकारी द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाय।

विषय क्र 05 बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एच.आई. एवं एल.डी.) के अध्यापन व्यवस्था हेतु पद सृजन प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।

बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एच.आई. एवं एल.डी.) के अध्यापन व्यवस्था हेतु पद सृजन के प्रस्ताव के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1) शिक्षा विभाग हेतु स्वीकृत 04– सह आचार्य के पदों में से 01 –सह आचार्य का पद अन्य शैक्षणिक विभाग जहां आचार्य का पद रिक्त हो, को स्थानांतरित करते हुए उस विभाग के रिक्त आचार्य पद को शिक्षा विभाग के लिए स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाय।

2) शिक्षा विभाग हेतु स्वीकृत 17 –सहायक प्राध्यापक के पदों में से 04– सहायक प्राध्यापक के पद को बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एच.आई. एवं एल.डी.) के लिए चिन्हांकित किया जाय।

विषय क्र 06 डॉ0 रानू शुक्ला, परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा विभाग को अर्थशास्त्र विभाग से अन्यत्र आसंजित किये जाने बाबत्।

प्रकरण के संबंध में विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1) प्रौढ़ एवं संतत शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना अधिकारी के पद की निरंतरता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्थिति स्पष्ट किया जाय।

2) डॉ. रानू शुक्ला को योग्यतानुसार कार्य आबंटन के लिए अध्यक्ष, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति को अधिकृत किया जाय।

विषय क्र 07 **विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा (VRET) से छूट प्राप्त संवर्ग में प्रवेश प्रदान करने पर विचार।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विभिन्न शैक्षणिक विभागों से छूट प्राप्त संवर्ग (Exempted category) के उपलब्ध सीट संख्या (Roster लगाकर) की जानकारी दिनांक 31.07.2016 तक प्राप्त किया जाय। तद्पोरांत प्रवेश हेतु सूचना जारी की जाय।

इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अकादमिक विभाग द्वारा की जायेगी ।

विषय क्र 08 **विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत योग विज्ञान विषय में 06 माह सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रति सप्ताह 01 घण्टे योगाभ्यास किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।**

विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि –

1) विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विषय में 6 माह सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

2) उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के पूर्व अध्यादेश का प्रारूप प्रस्तुत किया जाय।

3) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रति सप्ताह 1 घंटे का योगाभ्यास किये जाने संबंधी प्रस्ताव की विस्तृत कार्ययोजना नियमों के साथ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क्र 09 **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

अ.अ.वि.क्र 01 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु जारी विनियम 2016 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।**

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मई 2016 में तृतीय संशोधन के साथ शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम 2016 की अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र असधारण भाग – 3 खंड 4 संख्या 196 दिनांक 10.05.2016 में प्रकाशित किया गया है।

विचरोपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मई 2016 में तृतीय संशोधनों के साथ शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु जारी किये गये विनियम 2016 को अंगीकृत किया जाय।

अ.अ.वि.क्र 02 **शैक्षणिक पदों में से सहायक प्राध्यापक के पद के लिए निर्धारित छूट संबंधी प्रावधान (संलग्नक 4) को लागू किये जाने पर पुनर्विचार करना।**

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2010 में सहायक प्राध्यापक के पद पर भर्ती हेतु नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्मित किये गये थे। यह प्रावधान विज्ञापनों में (संलग्नक –4) के नाम से जारी किये गये।

यूजीसी रेगुलेशन 2010 में उपरोक्त संलग्नक में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी रेगुलेशन मान्य किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक पदों में से सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के प्रावधानों का पालन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र 03 केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ज्ञान योजना के अंतर्गत संचालित Short term course के तहत one credit छात्रों को प्रदान किये जाने पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय के आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग की G-IAN योजना के तहत 12 दिवसीय लघु अवधि पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम हेतु मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप प्रति 10–12 घंटे के व्याख्यान में उपस्थिति पर 01 क्रडिट तथा मानव संसाधन विकास विभाग एवं गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के संयुक्त Logo के साथ भागीदारों को प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित विद्यार्थियों को 0–12 घंटे पर one credit अंक तथा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के Logo युक्त प्रमाण पत्र दिया जाय।

अ.अ.वि.क्र 04 केन्द्रीय वि.वि. के रूप में उन्नयन पश्चात पात्रता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने पर विचार करना।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि –

1) अन्य मंडलों (बोर्ड) /विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अद्यतन प्रचलित पात्रता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय।

2) यह भी निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त मंडलों (बोर्ड) /विश्वविद्यालयों की सूची एवं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की मंडलवार /विश्वविद्यालयवार सूची अकादमिक विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराया जाय।

3) यह भी निर्णय लिया गया कि प्रवेश समिति इस संबंध में कोई समस्या हो तो उसके निराकरण हेतु संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर सकेंगे।

4) विशेष प्रकरणों में आवश्यकता होने पर अध्ययनशाला के अधिष्ठाता द्वारा प्रकरण को अकादमिक विभाग के माध्यम से सक्षम निकाय/अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

24/6/16

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**